न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 111/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/420
दायर दिनांक :– 09.05.2022 निर्णय दिनांक :– 07.01.2026

1. पूंजाराम पुत्र खम्माराम जाति मेघवाल निवासी धोलिया हाल चक 17 KYD खाजुवाला जिला गंगानगर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. दीनाराम पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
2. दुर्गाराम पुत्र दीनाराम जाति मेघवाल निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
3. भगवानाराम पुत्र दीनाराम जाति मेघवाल निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
4. ओमाराम पुत्र दीनाराम जाति मेघवाल निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
5. बाबूराम पुत्र गुणेशाराम जाति मेघवाल निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
6. पेउराम पुत्र नखताराम जाति मेघवाल निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
7. भूरीदेवी पत्नी भीमाराम जाति मेघवाल निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
8. मैनेजर इलाहाबाद बैंक शाखा बारू तहसील बाप जिला फलोदी
9. मैनेजर इंडियान बैंक शाखा सिंहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
10. मैनेजर एक्सिस बैंक शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
11. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा फलोदी तहसील व जिला फलोदी
12. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री आरूफ खान अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री राणीदानसिह अधि. अप्रार्थी संख्या 1
3 श्री करणीसिंह राठौड़ अधि. अ.सं. 2 ता 4
4 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ.सं. 5

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 का वक्त सेटलमेंट संयुक्त हिन्दू परिवार में शामलाती ही काश्त करते थे। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के संयुक्त कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि मूल खेत खसरा नम्बर 640 रकबा 299–02

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बीघा सरहद मौजा धोलिया पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप में आई हुई है। जिसमें प्रार्थी के पिता खमाराम व रतनाराम के नाम के संयुक्त हिस्सा रहा है। मूल खसरा नम्बर 640 के वर्तमान खसरा नम्बर 640 रकबा 8.0532 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 640/1 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 640/2 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 640/3 रकबा 8.0532 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 640/4 रकबा 8.0613 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 640/5 रकबा 8.0613 हैक्टेयर है। मूल खसरे का गलत व अनुचित विभाजन कर आगे से आगे बेचान किया जा रहा है। उक्त भूमि रतनाराम व खम्माराम के नाम की खातेदारी रही है जिसमे प्रार्थी के पिता खम्माराम का 1/2 हिस्सा रहा है जिसमें प्रार्थी का सम्पूर्ण भूमि में 1/2 का 1/7 पैतृक हिस्सा है। प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी के पिता खमाराम का देहान्त दिनांक 20.12.1970 को हो जाने से प्रार्थी का पैतृक संपति में जन्म से हिस्सा कायम हो गया है। प्रार्थी खम्माराम का जायंदा पुत्र है जिसका संयुक्त रूप से उक्त वादग्रस्त पैतृक कृषि भूमि में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत हक हिस्सा है। दिनांक 30.121982 को म्युटेशन संख्या 604 गलत तौर पर रतनाराम, खमाराम पिता शिवजीराम के स्थान पर दीनाराम पुत्र रतनाराम, किसनी बेवा रतनाराम का नाम दर्ज करवा दिया जबकि खमाराम के वारिसानों का राजस्व रेकर्ड में नाम अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर जानबुझकर राजस्व रेकर्ड से प्रार्थी के पिता खमाराम का नाम हटा दिया। जिसकी जानकारी हाल ही में प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को तहसील कार्यालय चलकर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थीगण टालमटोली करते रहे तथा अप्रार्थीगण दिनांक 05.04.2022 को प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने से साफ इंकार कर दिया व धमकी दी कि तुम्हारा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है उक्त जमीन हमारे नाम से दर्ज है अब हक तुम लोगों को तुम्हारे हक हिस्से व कब्जा की जमीन से जबरन बेदखल कर इस जमीन का बेचान हस्तान्तरण कर देंगे व धमकाते हुए कहा कि आयंदा इस जमीन के बारे में हमें कोई ओलबा दिया तो मारे बगेर नहीं छोड़ेगे। प्रार्थी खमाराम का विधिक वारिसान होने से वर्तमान में भी अपने हक हिस्से अनुसार प्रार्थी के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण ने कभी दखलअंदाजी पैदा नहीं की तथा प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर लगातार कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है। अतः प्रार्थी को अपने पुश्तैनी हक अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व दावा बाबत अधिकारों की घोषणा व स्थयी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 की और से अधिवक्ता श्रीं राजेन्द्रसिंह सोंलकी व अप्रार्थीगण संख्या 1 की और अधिवक्ता श्री राणीदानसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की और से श्री करणीसिंह राठौड़ ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किए जो निम्न प्रकार है–

1. 2010(2) RRT 1392
2. 2013(1) RRT 133

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से पेश उक्त दृष्टांतो का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

नामान्तरकरण संख्या 604 मौजा बारू के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि रतनाराम, खमाराम पि. शिवजी के नाम दर्ज थी। रतनाराम, खमाराम के फौत होने पर इनके वारिसान के नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का अकंन है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अलग–अलग खसरान् में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादीगण के वाद में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का पैतृक हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, नामान्तरकरण और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि रतनाराम, खमाराम पि. शिवजी के नाम दर्ज थी। रतनाराम, खमाराम के फौत होने पर इनके वारिसान के नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का अकंन है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अलग–अलग खसरान् में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को आराजी के उपभोग उपयोग इत्यादि सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर
बाप (कलोदी)

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी

Satya...

(सत्य नारायण—I आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)